छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 18/02/2016

क्रमांक 41 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा **"छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल"** के अधिसूचना क्रमांक 38, दिनांक 07–10–2015 में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए **"निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना"** में निम्नानुसार संशोधन अंतःस्थापित करती हैः–

(iv) **प्रीमियम राशि**– प्रत्येक सदस्य के लिए रूपये 330/– वार्षिक प्रीमियम मंडल द्वारा देय होगी।

18/2/2016

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

पृ0क्र0/2016/11207-11213
नया रायपुर, दिनांक 18/02/16

प्रतिलिपि :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव सह अध्यक्ष, (BOCWWB) छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर (छ0ग0)
4. कलेक्टर, जिला .... (छ0ग0)
5. श्रमायुक्त कार्यालय के उप श्रमायुक्त, रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी........................... ....(छ0ग0)
7. आदेश पत्रिका में संकलनार्थ प्रस्तुत।

18/2/2016

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

पी0 3सी0, 244–245, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सेक्टर–27, नया रायपुर

अधिसूचना

नया रायपुर, दिनांक 07/10/2015

कमांक 38 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तो का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजनाएं बनाती है:–

निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना :–

(अ) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना –

(i) यह योजना **"**निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना**"** कहलाएगी।

(ii) यह योजना संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील होगी।

(iii) यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावषील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे हुए है तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी है।

(ब) परिभाषाएं– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(i) "अधिनियम" से आशय भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।

(ii) "बोर्ड" से आशय धारा 18 की उप–धारा (1) के अधीन गठित भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।

(iii) "सचिव" से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।

(iv) "आश्रित" से आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, आश्रित माना जावेगा–

–पत्नी अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)

–अवयस्क पुत्र

–अविवाहित पुत्री

–पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे

–आश्रित माता–पिता

(vi) "परिवार" से आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नी (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क पुत्र, अविवाहित पुत्री, आश्रित माता–पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे सम्मिलित माने जाएंगे।

(vii) "नामिति" अथवा "नामिति" से आशय हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा छत्तीसगढ़ नियम, 2009 के नियम 44(4) के अंतर्गत नाम निर्देशित किए गए नामिति से है।

(viii) **निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना**– निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना से प्रधानमंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना से है।

परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वहन–उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए है, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है।

(स) योजना का विवरण–

(i) निर्माण श्रमिकों को धारा 22(1) सहपठित राज्य नियम 57 तथा 58 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना, निर्माण श्रमिकों के लिए समस्त अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी।

(ii) **पात्रता –**

(1) 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के निर्माणी श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अधिनियम, 1952 के तहत खाताधारियों को छोड़कर मंडल में पंजीकृत समस्त निर्माण श्रमिक इस योजना के लिए पात्र होंगे।

(3) बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों, जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा, के लिए यह योजना प्रवर्तित होगी।

(iii) **हितलाभ–** किसी भी कारण सदस्य की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 2.00 लाख,

(iv) **प्रीमियम राशि–** प्रत्येक सदस्य के लिए रूपये 330/– वार्षिक प्रीमियम में से 50 प्रतिशत अर्थात् रूपये 165/– मंडल द्वारा एवं शेष रूपये 165/– हितग्राही द्वारा देय होगी।

(v) नोडल एजेंसी–हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के संबंध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड एवं जीवन ज्योती योजना हेतु अधिकृत बैंक द्वारा सभी परिचय–पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी।

(द) दावा कार्य प्रणाली–

बीमित मृत सदस्य के नामिति या आश्रित को मृत्यु प्रमाण–पत्र की मूल प्रति अन्य विवरण सहित प्रपत्र–एक में नोडल एजेंसी (जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी) को देनी होगी। नोडल एजेंसी द्वारा दावा फार्म मृतक के बैंक की शाखा में भेजते हुए बोर्ड को अवगत करायेगा तथा संबंधित बैंक द्वारा दावे का निपटारा एकाउण्ट पेयी चेक बोर्ड के नाम से जारी कर किया जावेगा।

(ई) **निर्माण मजदूर जीवन ज्योती बीमा योजना की प्रकिया–**

बोर्ड द्वारा प्रदेश में पंजीबद्ध किए गए निर्माण श्रमिकों द्वारा व्यक्तिशः जीवन ज्योती बीमा योजना का प्रपत्र भरकर सहमति दिए जाने पर हितग्राही के बैंक खाते में मंडल द्वारा देय राशि जमा कर दिया जावेगा। बैंक द्वारा हिताधिकारी के खाते से हिताधिकारी एवं मंडल के अंशदान की एकमुश्त राशि कटौती कर ली जावेगी।

(फ) **विसंगति का निराकरण–**

योजना में उल्लेखित शर्तो/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

7/8/2015

(सविता मिश्रा)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर

पृ0क्र0 / / 10254-10261
रायपुर, दिनांक 07/10/2015

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)
3. श्रमायुक्त सह सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर (छ0ग0)
5. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल रायपुर (छ0ग0)
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी .... (छ0ग0)
7. उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा .... (छ0ग0)
8. उप संचालक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव की ओर प्रेषित् कर लेख है, कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7/8/2015

सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नया रायपुर